CNR No.UPME190006372022

न्यायालय – वाणिज्यिक न्यायालय, न्यायालय सं02, मेरठ।

निष्पादन वाद सं0 205 सन 2022 (प्राचीन नं० 27 सन 2016)

श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाईनेन्स कं० लि० प्रति मो० आसिम सेफी एवं अन्य

17.08.2026

पेश हुआ। पुकार करायी गयी।

पुकार पर डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

डिक्रीदार की तरफ से प्रार्थना पत्र 20 क इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि कई बार समन प्रेषित किये जाने के बाद भी निर्णीत ऋणी का सही पता नहीं चल पा रहा है जिस कारण उपर्युक्त वाद को वापस ले कर पता ज्ञात होने पर पुनः वाद योजित किये जाने की अनुमति चाही गयी है।

अस्तु समग्र कारणों के आधार पर उक्त वाद को प्रत्याहरित किये जाने की अनुमति चाही गयी है।

आधार पर्याप्त है।

तदानुसार प्रार्थना पत्र 20 क स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कारणों के आधार पर इस वाद को निर्णीत ऋणीगण के पते का ज्ञान होने पर पुनः योजित किये जाने के आधार पर वाद को प्रत्याहरित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रावली अभिलेखागार नियमानुसार संचित हो।

(अशोक कुमार)
पीठासीन अधिकारी,
वाणिज्यिक न्यायालय, न्यायालय सं02,
मेरठ।
जे०ओ०नं०–यू०पी० 5988

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2026.08.18 10:33:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court